न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड्वानी (म०प्र०)

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 270 / 2012</u> संस्थन दिनांक 14.06.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला–बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

विरुद्ध

- 1. जुवानसिंग पिता बाबू, आयु 45 वर्ष,
- 2. बीनाबाई पति जुवानसिंग, आयु 40 वर्ष,

दोनों निवासीगण— पीपरतलाई, ग्राम टेमला, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

————अभियुक्तगण

<u>/ / निर्णय / /</u>

(आज दिनांक 24/01/2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 69/2012 अंतर्गत 325 323, 504 सहपिठत धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 14.06.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 26.03.2012 को समय प्रातः 8:00 बजे, ग्राम टेमला में फरियादी भुवानसिंह के घर पर लोकस्थान पर फरियादी भुवानसिंग को गॉलिया देकर इस आशय से अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोकशांति मंग या कोई अन्य अपराध कारित करने, अभियुक्त जुवानसिंग के विरूद्ध फरियादी भुवानसिंह को स्वैच्छयापूर्वक मारपीट कर उसे गंभीर उपहित कारित करने के संबंध में भा.द.सं. की धारा 504 एवं 325 तथा अभियुक्त बीनाबाई के विरूद्ध फरियादी भुवानसिंह की पत्नी सेवंतीबाई को मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहित कारित करने के संबंध में धारा 504, 323 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 3. 26.03.2012 को प्रातः 8:00 बजे अभियुक्त ज्वानसिंग ने फरियादी भुवानसिंग को कहा कि वह अपनी पत्नी सेवंतीबाई को भगा दे, क्योंकि उसकी पत्नी डाकन है, अभियुक्त के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, अभियुक्त ने फरियादी के साथ गाली-गलोच की तथा पत्थर मारा जिससे उसके दाहिने हाथ की बीच की अंगुली में चोंट आई। भूवानसिंग की पत्नी सेवंतीबाई को भी अभियुक्त बीनाबाई ने लात–थप्पड़ से पीठ एवं पेट पर मारा तथा बायें हाथ में भी रगड़ आई। घटना केकडिया, मनीबाई ने देखी। इस घटना की रिपोर्ट फरियादी भूवानसिंग ने लिखाई जहाँ असंज्ञेय अपराध क्रमांक 150/12 दर्ज कर फरियादी एवं उसकी पत्नी को ईलाज के लिए ठीकरी अस्पताल भेजा गया तथा एक्सरे परीक्षण में भूवानसिंग को हाथ की अंगुली में अस्थि भंग की चोंट होने से अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 69 / 12 अंतर्गत धारा 323, 325, 504 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 9 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान भुवानसिंग की निशांदैही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त ज्वानसिंग एवं बीनाबाई को गिरफतार किया तथा अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षीगण मनीबाई, केकड़िया, सेवंतीबाई एवं भुवानसिंग के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 504 तथा अभियुक्त ज्वानसिंग के विरूद्ध 325 भा.द.सं. एवं अभियुक्ता बीनाबाई के विरूद्ध धारा 323 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर अभियुक्ता को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

- 1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 26.03.2012 को समय प्रातः 8:00 बजे, ग्राम टेमला में फरियादी भुवानसिंह के घर पर लोकस्थान पर फरियादी भुवानसिंग एवं उसकी पत्नी सेवंतीबाई को गॉलिया देकर इस आशय से अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोकशांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करें ?
- क्या अभियुक्त जुवानिसंग ने फिरयादी भुवानिसंह को स्वैच्छयापूर्वक मारपीट कर उसे गंभीर उपहित कारित की ?

3. क्या अभियुक्ता बीनाबाई ने फरियादी भुवानसिंह की पत्नी सेवंतीबाई को मारपीट कर स्वैच्छया साधारण उपहति कारित की?

यदि हॉ. तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी भुवानिसंग (अ.सा.1), सेवंतीबाई (अ.सा.2), केकड़िया (अ.सा.3), मनीबाई (अ.सा.4), सदाशिव (अ.सा.5), डॉ. दुर्गासिंह चौहान (अ.सा.6) एवं प्रधान आरक्षक मेहताब सिंह चौहान (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 2 एवं 3 के संबंध में

प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी भुवानसिंह (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है। घटना लगभग 1 वर्ष पूर्व की है। अभियुक्त जुवानसिंग ने उसे एवं उसकी पत्नी सेंवतीबाई के साथ मारपीट की थी। जुवानसिंग ने गोफन से पत्थर मारे थे, जो उसे दाहिने हाथ के पंजे में लगा तथा उसे अंगूली में अस्थि भंग हो गया था। बीनाबाई ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की तथा उसकी पत्नी को घसिट कर ले गई थी. जिससे सेवंतीबाई को पीठ, पैर एवं हाथ में चोंट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर लेखबद्ध कराई थी, जो प्रदर्शपी 1 है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए ठीकरी अस्पताल और फिर उसे बड़वानी अस्पताल भेजा था। पुलिस को उसने घटनास्थल बताया था। नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जुवानसिंग उसका भाई है तथा बीनाबाई उसकी भाभी है। अभियुक्तगण उसके मकान से आधा किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्तों से उनकी 2-3 वर्षो से बातचीत बंद है और पूर्व में भी विवाद हुआ था। अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध जमीन के विवाद को लेकर उनके विरूद्ध मिथ्या प्रकरण तहसील न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में चल रहा है। घटना की रिपोर्ट उसने उसी दिन कर दी थी। थाने पर रिपोर्ट करने वह तथा उसकी पत्नी गये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी अथवा वह मदिरापान कर गिर गया था और उसे चोंट आई थी।

- 8. सेवंतीबाई अ.सा.2 ने भी अभियुक्त जुवानिसंग द्वारा उसके पित को पत्थर से मारने और उसके दाहिने हाथ के पंजे की अंगुली में अस्थि भंग होने और बीनाबाई द्वारा उसे पत्थर मारने तथा घर के अंदर से घिसट कर बाहर लाने तथा उसे पीठ एवं पेट पर चोंट होने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी अथवा उसका पित मिदरापान करता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने भी उसके विरूद्ध थाना ठीकरी पर रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट भी की थी और रिपोर्ट भी की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसके पित ने अभियुक्तों के विरूद्ध मिथ्या रिपोर्ट की है।
- 9. भुवानसिंग अ.सा. 1 तथा सेवंतीबाई अ.सा. 2 के कथनों का समर्थन केकड़िया अ.सा. 3 ने भी किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि 1 वर्ष पूर्व भुवानसिंग और वह एक साथ खाट पर बैठे थे, तब अभियुक्त जुवानसिंग ने गोफन से पत्थर मारा जो भुवानसिंग को लगा, जिससे उसे अस्थि भंग हो गया था। बीनाबाई ने पत्थर फेंके और सेवंतीबाई को उसके घर के अंदर से घसिट कर बाहर लेकर आई, जिससे सेवंतीबाई की पीठ एवं पेट पर रगड़ के निशान हो गये थे। बवाच पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त एवं फरियादी भाई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त से उसकी 15 दिनों से बोलचाल बंद है, क्योंकि अभियुक्त उसकी पत्नी को भी डाकन कहता था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने सेवंतीबाई को पत्थर नहीं मारा था। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी को यह सुझाव नहीं दिया गया कि अभियुक्त जुवानसिंग ने पत्थर मारकर भुवानसिंग को अस्थि भंग की चोंट कारित नहीं की थी। ऐसी स्थिति में प्रतिपरीक्षण के अभाव में साक्षी का उक्त कथन स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है।
- 10. सदाशिव अ.सा. 5 ने पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिर्फ्तार करने के संबंध में कथन किये है। मनीबाई अ.सा. 4 ने अभियुक्तों और फरियादीगण को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं तथा साक्षी से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके सामने भुवानसिंग एवं सेवंतीबाई को पत्थर मारे थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि भुवानसिंग ने उसे बताया था कि पत्थर बचाने में उसके दाहिने हाथ की बीच वाली अंगुली में अस्थि भंग हुआ था। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 का कथन देने से भी इंकार किया है। संभवतः उक्त साक्षी फरियादी एवं अभियुक्तगण दोनों से परिचित होने और अभियुक्तों की पड़ोसी होने के कारण जानबूझकर अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं कर रही है।

- 11. डॉ. दुर्गासिंह चौहान अ.सा. 6 ने दिनांक 26.03.2012 को थाना ठीकरी के आरक्षक दारासिंग द्वारा लाने पर आहत भुवानसिंग पिता बाबु, आयु 30 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके दाहिने हाथ की मध्य अंगुली पर सूजन, विकृति तथा दर्द होना पाया था, जिसका आकार 2x1 इंच था। साक्षी ने उक्त चोंट को सख्त अथवा बोथरी वस्तु से आना बताया और उक्त चोंट के लिए एक्सरे परीक्षण की सलाह दी थी और आहत को जिला चिकित्सालय बड़वानी भेजा था। साक्षी ने आहत का एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसकी मध्य अंगुली में अग्रभाग पर विकृति (अस्थि भंग) होना पाया था तथा अपने परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 एवं एक्सरे प्लेट प्रदर्शपी 5 एवं एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दिनांक 04.04.2012 को आहत का एक्सरे परीक्षण हुआ था और आहत को आई सभी चोंटें गिरने से आना संभव है लेकिन भुवानसिंग अ.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसे गिरने से अंगुली में चोंट लगी थी। ऐसी स्थिति में डॉ. दुर्गासिंह चौहान की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 12. प्रधान आरक्षक मेहताबसिंह अ.सा. 7 का कथन है कि दिनांक 17.4.2012 को उसे थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 69/12 की केस डायरी विचेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने घटनास्थल तलाईपुरा ग्राम टेमला पहुँचकर मुवानसिंग की निशांदेही से प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके साथ थाना ठीरकी पर प्रधान आरक्षक सलीम खान पदस्थ रहे है उसने एवं प्रधान आरक्षक सलीम खान ने लगभग 2 वर्ष तक साथ—साथ कार्य किया है वह उनकी लिखावट एवं हस्ताक्षर पहचानता है। प्रदर्शपी 9 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रधान आरक्षक सलीम खान की लिखावट में है तथा जिनके ए से ए एवं बी से बी भागों पर प्रधान आरक्षक सलीम खान के हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन उसने मन से लेखबद्ध किये थे।
- 13. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी एवं अभियुक्तगण आपस में रिश्तेदार है और उनका जमीन को लेकर पूर्व से विवाद है तथा बोलचाल भी बंद है, जिसके संबंध में स्वयं फरियादी ने प्रतिपरीक्षण में सवीकार किया है। तर्क के दौरान अभियुक्तों के अधिवक्ता ने फरियादी एवं उसकी पत्नी द्वारा उसे गाली देने के संबंध में थाना ठीकरी में पेश किये गये आवेदन एवं असंज्ञेय अपराध कमांक 89/13 दिनांक 22.02.2013 एवं बाबु पिता कन्हैया द्वारा फरियादीगण के विरूद्ध थाना ठीकरी में लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 31/09 एवं असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट कमांक 83/12 दिनांक 16.02.2012 एवं कमांक 432/12 दिनांक 24.07.12 की प्रतियाँ पेश की। उनका यह भी तर्क है कि पुरानी रंजिश के कारण फरियादी पक्ष ने अभियुक्तों के विरूद्ध असत्य रिपोर्ट दर्ज करवाई।

- यह सही है कि फरियादी भुवानसिंग अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में 14. अभियुक्तगण से पहले से विवाद होना स्वीकार किया है और पूर्व के विवाद के संबंध में अभियुक्त पक्ष ने फरियादी पक्ष के विरूद्ध असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन उक्त कोई भी रिपोर्ट इस अपराध की घटना दिनांक की नहीं है तथा बचाव पक्ष की ओर से उक्त रिपोर्ट्स को प्रदर्शित भी नहीं कराया गया है। रंजिश एक ऐसी द्विधारी तलवार होती है, जिसके आधार पर अभियुक्तों द्वारा घटना कारित भी की जा सकती है। फरियादी भुवानसिंग अ.सा.1 एवं सेवंतीबाई अ.सा.२ तथा केकड़िया असा ३ ने अभियुक्त जुवानसिंग द्वारा फरियादी भुवानसिंग को गोफन से पत्थर मारकर उसके हाथ की अंगुली में अस्थि भंग की चोंट पहुँचाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। इस घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद फरियादी द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई जहाँ से असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज कर आहत को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और एक्सरे परीक्षण में डॉ. दुर्गासिंह चौहान अ.सा. 6 ने भुवानसिंग की उसी हाथ की उसी अंगुली में अस्थि मंग की चोंट होना पाई थी, जिसके आधार पर थाने पर उक्त अपराध दर्ज किया गया तथा प्रधान आरक्षक मेहताबसिंह चौहान अ.सा.७ ने उक्त अपराध की विवेचना की है।
- 15. इस प्रकार अभियुक्त जुवानिसंग द्वारा फरियादी भुवानिसंग को सख्त अथवा बोथरी वस्तु पत्थर से मारपीट कर स्वैच्छया घोर उपहित कारित करने के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथन परस्पर पुष्टिकारक है और जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। डॉ. दुर्गासिंह चौहान अ.सा. 6 तथा प्रधान आरक्षक मेहताबिसंह चौहान अ.सा. 7 ने अपने कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान कार्य करते हुए उक्त कार्यवाहियाँ की है तथा बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यहाँ तक कि उक्त साक्षियों को यह सुझाव भी नहीं दिया गया कि उन्होंने असत्य कार्यवाहियों की है। ऐसी स्थिति में यह उपधारण की जा सकती है कि डॉ दुर्गासिंह चौहान असा 6 तथा प्रधान आरक्षक मेहतबासिंह चौहान अ.सा. 7 द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः सत्य है।
- 16. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त जुवानिसंग ने फिरयादी भुवानिसंग को सख्त अथवा बोथरी वस्तु पत्थर से मारपीट कर उसे स्वैच्छया घोर उपहित कारित की जो कि भा.द.स. की धारा 325 का अपराध है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त जुवानिसंग पिता बाबु, निवासी पिपरतलाई ग्राम टेमला को भा.द.सं. की धारा 325 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है। अभियुक्त बीनाबाई पर सेवंतीबाई के प्रति किये गये अपराध के लिए भा.द.स. की धारा 325 का आरोप है यद्यपि उक्त आहत का मेडिकल परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया, लेकिन अभियुक्त बीनाबाई द्वारा सेवंतीबाई को पत्थर मारने और घसिट कर ले जाने से

सेवंतीबाई को पीठ, पेट एवं हाथ में चोंट आने के संबंध में भुवानिसंग अ.सा. 1, सेंवतीबाई अ.सा. 2 एवं केकड़िया अ.सा. 3 ने स्पष्ट कथन किये है तथा प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में भी फरियादी ने अभियुक्त बीनाबाई द्वारा लात—थप्पड़ से पीठ, पैट व बायें हाथ में चोंट पहुँचाने के संबंध में लिखाया है जो कि स्वैच्छयसापूर्ण पहुँचाई गई साधारण प्रकृति की उपहित की परिभाषा में आता है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षियों के कथनों का कोई खण्डन नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में अभियुक्त बीनाबाई के विरुद्ध फरियादी सेवंतीबाई के प्रति किये गये अपराध के लिए भा.द.स. की धारा 323 का अपराध प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त बीनाबाई को भा.द.स. की धारा 323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 के संबंध में

- 17. उक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में भुवानिसंग अ.सा. 1 का कथन है कि अभियुक्त जुवानिसंग ने उसकी पत्नी के बारे में यह कहा था कि उसकी पत्नी डायन है, इसलिए उसके बच्चे बीमार रहते है। अभियुक्तगण ने उसे एवं उसकी पत्नी को मॉ—बहन की अश्लील गॉलिया दी थी जो सुनने में बुरी लगती थी। सेवंतीबाई अ.सा. 2 ने भी अभियुक्तों द्वारा उसे डाकन कहे जाने के संबंध में कथन किये हैं। केकड़िया अ.सा. 3 का भी कथन है कि अभियुक्त जुवानिसंग सेवंतीबाई को डाकन कहता था, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन साक्षियों का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा सेंवंतीबाई को डाकन कहे जाने के कारण उन्हें क्षोभ या संत्रास कारित हुआ था अथवा वे लोक शांति भंग करने के लिए प्रकोपित हुए थे। ऐसी स्थिति में भादस की धारा 504 का अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धारा में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. चूँिक अभियुक्त जुवानिसंग को भा.द.स. की धारा 325 और बीनाबाई को भा.द.स. की धारा 323 में दोषिसिद्ध घोषित किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला—बडवानी, म0प्र0

पुनश्च:-

- 19. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि अभियुक्तगण आपस में पित—पत्नी है तथा गरीब, ग्रामीण एवं अशिक्षित है तथा उन्होंने विचारण का शीघ्रता से सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।
- 20. यह सही है कि अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहे है, जिससे प्रकरण का निराकण शीघ्रतापूर्वक हुआ है, लेकिन अभियुक्त जुवानसिंग ने जिस तरह मामूली बात को लेकर आहत भुवानसिंग को पत्थर मारकर स्वैच्छया घोर उपहित कारित की, इसे देखते हुए अभियुक्त को न्यूनतम कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त जुवानसिंग पिता बाबु को भा.द.स. की धारा 325 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम करावास तथा रूपये 1000/— (अक्षरी एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त जुवानसिंग 15 दिवस का कठोर कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त जुवानसिंग द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि दी गई कारावास की सजा में समायोजित की जाये। इसी प्रकार अभियुक्त बीनाबाई को भा.द.स. की धारा 323 में दोषस्दि ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा रूपये 500/— (अक्षरी पाँच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त बीनाबाई 7 दिवस का साधारण पृथक से भुगतेगी।
- 21. अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें से रूपये 800 / रूपये आहत / फरियादी भुवानसिंग एवं रूपये 500 / सेवंतीबाई का अपील अविध पश्चात् प्रदान किये जाये। अभियुक्तों के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 22. अभियुक्त जुवानसिंग का अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।
- 23. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त जुवानसिंग को अविलंब निःशुल्क दी जाये।
- 24. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड जिला—बडवानी, म०प्र०

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड, जिला–बडवानी, म0प्र0

न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला–बडवानी म०प्र0

// धारा ४२८ द.प्रं.सं. के अंतर्गत//

में श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ म०प्र० आपराधिक प्रकरण क्रमांक 270/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरूद्व जुवानसिंह आदि) मे नीचे लिखे अनुसार अभियुक्त की निरोध अविध का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :— जुवानसिंग पिता बाबू, आयु 45 वर्ष, निवासी— पीपरतलाई, ग्राम टेमला, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी की दिनांक :- 07.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त निरक रहा है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0